नवीनीकरण प्रति

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ क्रमांक/00 /SGJ00017736/फायर सर्विस/एन 0ओ 0सी0/202-A /फायर सर्विस / एन°ओ°सी° /2026/ सरगुजा

दिनांक : 21/09/2026

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती YASHA INGOLE CHOUDHARY के परिसर SHRI SAI BABA SCHOOLPRATPPUR ROAD, SARGAWAN में स्थित SHRI SAI BABA SCHOOL,SARGANWA,AMBIKAPUR का इस विभाग द्वारा ""अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र"", पत्र क्रमांक- SGJ00017736 दिनांक 27/07/2025 को जारी किया गया था। इस परिसर का पुनः निरीक्षण इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री M/s CHHATTISGARH FIRE SAFETY AND DISASTER MANAGEMENT COMMITTEE द्वारा Mr. YASHA INGOLE CHOUDHARY की उपस्थिति में दिनांक 20/08/2026 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबन्धित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

1. सभी अग्नि सुरक्षा से संबन्धित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
2. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
3. अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
4. बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
5. मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
6. अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से SHRI SAI BABA SCHOOL,SARGANWA,AMBIKAPUR में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः YASHA INGOLE CHOUDHARY की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।
7. It shall be make sure that the applicant shall fulfill all such comments noted by the auditor in its audit report. Also he/she have to give self certification in a prescribed form (refer the Gazette Notification 2025) in Form 'R' in every 6 Months.

(अजातशत्रु बहादुर सिंह)
निदेशक
ट्रेनिंग आपरेशन
अग्निशमन एवं अपातकालीन सेवाऐं
नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़

जारी दिनांक : 21/09/2026

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

This is system generated NOC. No signature is required.